1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतांत

ग्रंक 3) षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 7वां दिवस (संख्या 6

सोमवार,

दिनांक 6 मार्च, 1978।

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र का दम भरने वाली यह जनता सरकार महाराष्ट्र में लोकतंत्रीय परम्पराओं का गला घोटने जा रही है। वहां के राज्यपाल पर दबाव डाला जा रहा है बहुमत वाली पार्टी को इग्नोर करने के लिए····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : जनता पार्टी के साथ····

(व्यवधान)

आज तक यह परम्परा रही है, जिस पार्टी का बहुमत है उसको सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है। मेजोरिटी वाली पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिये। किन्तु महाराष्ट्र में एक प्रकार की साजिश की जा रही है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधान मंत्री बराबर यह दावा कर रहे हैं····

(व्यवधान)

····यह बात स्पष्ट है कि राज्यपाल 90 प्रतिशत बसंत राव पाटिल के दावे से सहमत हैं लेकिन भारत सरकार, जनतंत्र का दम भरने वाली सरकार लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है। मेरा निवेदन है कि परम्परा के अनुसार जिन लोगों का बहुमत है उन लोगों को सरकार बनाने की इजाजत दी जाय। आज बसंत राव पाटिल को बहुमत प्राप्त है···

(व्यवधान)

बसन्त राव पाटिल को सरकार बनाने की इजाजत दी जाये··

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इन का बहुमत होने की वजह से··

श्री रामनारायण चौधरी : जनता पार्टी के 145 विधायक हैं, और कांग्रेस के

Page No 2

(श्री रामनारायण चौधरी)

149 विधायकों के फोटो ग्रौर सूची गवर्नर के सामने पेश की गई है। इसलिए बसन्त राव पाटिल को सरकार बनाने के लिए ग्रामंत्रित किया जाय। ग्राज की कार्यवाही स्थगित की जाये तथा इस सदन की ग्रावाज भारत सरकार के पास पहुंचाई जाए······

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य। यह विषय इस सदन की चर्चा का नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हाउस चलना मुश्किल हो जायेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विषय इस सदन की चर्चा का नहीं है। सन् 1967 में राजस्थान में भी इस तरह की बातें·····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : जो मेम्बर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको बाहर निकाल दिया जाये। मेरा प्रस्ताव है, इनको हाउस से बाहर निकाला जाये। 1967 में हुए गोलीकाण्ड से जयपुर की सड़कें ग्रब भी खून से रंगी हुई हैं। मेरा प्रस्ताव है मार्शल की सहायता से इनको बाहर निकाला जाये...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये ग्रौर इस बात पर विचार किया जाये···

(व्यवधान)

श्री **रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : लोकतंत्र के हत्यारों···

श्री **रामनारायण चौधरी** : ग्राज के कार्यक्रम को स्थगित कर...

श्री **विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहरथाना) : लोकतंत्र के हत्यारों !

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : लोकतंत्र के हत्यारों, यह बोल रहे हैं। ग्राप इनको रोकिये।

श्री **परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय··

श्री **ग्रध्यक्ष** : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, सदन की परम्परा के ग्रनुसार सदन में बहस होनी चाहिये।

श्री **परसराम मदेरणा** : सदन की प्रतिष्ठा के ग्रनुरूप ही मैं कुछ बातें कहूंगा।

श्री **रामनारायण चौधरी** : ग्रापके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि ग्रगर लीडर ग्राफ दी हाउस इस बात के लिए तैयार हैं कि इस हाउस की भावनाग्रों को...

कई माननीय सदस्य : इस हाउस की नहीं है।

(व्यवधान)

श्री **रतनलाल वर्मा** : इनकी ग्रकेले की हो सकती है, पूरे हाउस की नहीं हो सकती।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : यह सदन इस बात पर विचार नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

इनको इस हाउस से मार्शल की सहायता से बाहर निकाला जाये।

श्री मूलचन्द डागा : लोकतन्त्र की हत्या हो रही है, बहुमत के आधार पर...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठायें। ये लोकतन्त्र की हत्या करने वाले मुझे कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विरोधी पक्ष के नेता खड़े हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में आम चुनाव के बाद जो मेजोरिटी पार्टी की सरकार बनाने का प्रश्न है वह अभी राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र स्टेट के विचाराधीन है। देश में ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि बसन्त राव दादा पाटिल के नेतृत्व में 149 एम. एल. एज. फिजिकली जाकर गवर्नर हाउस में राज्यपाल महोदय के सामने उपस्थित हुये। उसके बावजूद राज्यपाल महोदय ने बसन्त राव दादा पाटिल को उनके पास बहुमत होते हुये अभी तक सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित नहीं किया है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इन्ट्रप्शन मत करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्हीं से पूछिये, इन्होंने क्या कहा था। यह परम्परा कायम कर रहे हैं। विधान सभा में बहुमत किसका है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ...मैं पूछता हूँ 1967 में डेमोक्रेसी थी क्या ?

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या कांग्रेस के पद चिन्हों पर अपन चलना चाहते हैं ? कांग्रेस के सदस्यों को भी अर्ज करता हूं...

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेजोरिटी जनता पार्टी की वहां नहीं है लेकिन जिन्हें नेता चुना गया है और जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका दावा है कि उनकी मेजोरिटी पार्टी है और उन्हें सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया जाय। हम ऐसा महसूस करते हैं और इस सदन के प्रांगण को हम इसलिये इस सम्बन्ध में इस्तेमाल में ले रहे हैं, क्योंकि ये जो जनतन्त्र में विश्वास करने वाले हैं इन्हीं के द्वारा वहां जनतन्त्र का गला घोटा जा रहा है। लोगों में पूरी पूरी भ्रांति है और उन्हें शक शुबाह है कि केन्द्र की सरकार ने राज्यपाल महोदय को इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि बहुमत की सरकार न बनकर अल्पमत की सरकार बन जाय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 1967 की बात को कहकर यहां पर लंगड़ी दलील देना...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत दुःख है और हमें व्यथा है कि आपने जो कुछ आब्जर्वेशन किया...

(व्यवधान)

(श्री परसराम मदेरणा)
आसन से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं होना चाहिये। जनता पार्टी के माननीय सदस्य जिस जोशोखरोश के साथ जनतन्त्र की आवाज उठाना चाहते हैं। जनतंत्र की रक्षा नहीं हो सकेगी यदि गवर्नमेंट में · · ·

(व्यवधान)

भारत सरकार की हम जानकारी में लाना चाहते हैं कि जो कुछ भी होने जा रहा है उसके प्रति हम में रोष है। इस सम्बन्ध में हमारी जो प्रतिक्रिया है वह भारत सरकार तक पहुंचे इसलिये मैं मेरे दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय बसन्त दादा राव पाटिल को सरकार बनाने की इजाजत न देकर इस देश में लोकतन्त्र की आस्था खत्म करने जा रहे हैं · · ·

(व्यवधान)

इसलिये में अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री नूरा (मसूदा) : इस तरह से चुनी हुई सरकार को · · ·

(व्यवधान)

हम तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं सरकारी पक्ष में बैठने वाले लोग अगर जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे, फैसला तो अभी दूर है · · ·

(व्यवधान)

हम इसके लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से बहिर्गमन करता हूं।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वाक आउट करने की बात तो उचित नहीं समझता हूं लेकिन यह कहे बिना नहीं रहूंगा कि जो पुरानी सरकार ने दोष और गलतियां की हैं, अगर उसी प्रकार की गलतियां जनता सरकार की तरफ से होती हैं तो उपयुक्त नहीं हैं।

(व्यवधान)

मेरी भावना मैं आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ प्रकट किया है वह माननीय अध्यक्ष महोदय के पद के लिये उपयुक्त नहीं था। आप अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हैं। आपको निर्भीक दृष्टिकोण रखना चाहिये। माननीय लीडर महोदय कोई बात स्पष्ट करेंगे तो वह प्रजातान्त्रिक पद्धति के अनुरूप होगी।

श्री मदनसिंह दांता : जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता कांग्रेस के नेता इस सम्बन्ध में तब तक नहीं बोलते तो ठीक होता। अभी तय ही नहीं है और वह यह कह रहे हैं कि सरकार बनाने नहीं दी। इसलिये मैं कहता हूं वाक आउट करना अच्छा नहीं है। वहां कोई निर्णय हो जाता तब तो कहना उचित भी था। अभी मेजोरिटी को देखते हुये अन्याय कह देने और वाक आउट करने का कौनसा सवाल आ गया। वाक आउट के बजाय दिल्ली की

(श्री मदनसिंह दांता)
सड़कों पर सत्याग्रह करते तो ज्यादा उपयुक्त था'...

(व्यवधान)

यहां विधान सभा में हल्ला करने से क्या मतलब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य अब जनतन्त्र की दुहाई देने लगे हैं। ये वे ही शख्स हैं जिन्होंने 19 महीनों में जनतन्त्र का गला घोंटकर सारे देश को जेल के सींखचों में बन्द कर दिया था। आज ये जनतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं जो पूर्ण अनुभवी सदस्य हैं और पिछले कई सालों से इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं...

श्री मदनसिंह दांता : अखबार में नाम छपाना चाहते थे। छप जायगा। चले गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट प्रस्तुत करते समय इस प्रकार की आपत्ति उठानी चाहिये या नहीं, मैं समझता हूं हम भी विरोधी पक्ष में रहे हैं ऐसा कभी अवसर नहीं आया होगा कि जब बजट प्रस्तुत हुआ हो तब इस प्रकार की कोई कार्यवाही की हो। अब जो कन्वेन्सन विरोधी पक्ष ने डाला है, उसे निभाने के लिये तैयार हैं लेकिन मैं इसके लिये दुःख ही प्रकट कर सकता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विस्तृत वित्तीय विवरण के उपस्थापन के दिन प्रश्न काल

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्रीमन्, जो प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हैं, उसके नियम 29 का मुलाहिजा फर्मायें, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, प्रत्येक बैठक का पहला घण्टा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा सिवाय उस दिन के जब राज्यपाल महोदय आते हैं। विधान सभा सत्र में विधान सभा के इस प्रांगण में माननीय सदस्य इकट्ठे होते हैं वह बैठक का दिन होता है इसलिये जब तक अध्यक्ष महोदय कोई व्यवस्था न दें तब तक पहला घण्टा प्रश्नोत्तर काल के लिये होना चाहिये लेकिन आज प्रश्नोत्तर का समय नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई निर्देश हों तो दूसरी बात हो सकती है लेकिन मेरा निवेदन है प्रश्नोत्तर काल में माननीय सदस्यों का प्रश्न पूछने का हक है और सरकार का उत्तर देने का हक है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी माननीय सदस्य के अधिकारों के प्रतिकूल अगर आप निर्देश देते हैं तो पहले हमको कोन्फीडेंस में लेकर, हमको सुन कर, हमारी बात को समझ कर उसके बाद आपको इस तरह का निर्णय देना चाहिए। यह निर्णय ऐसा नहीं कि जो प्रशासनिक हो। यह ऐसा निर्णय है जो सदस्यों के अधिकारों से सम्बन्ध रखता है, जो प्रक्रिया से सम्बन्ध रखता है, जो नियमों से सम्बन्ध रखता है। इसलिए, जब तक सदन की भावनाओं को सुन न लें, सब माननीय सदस्यों को सुन नहीं लें तब तक इस तरह का आदेश दिया जाना मैं समझता हूं कि इस नियम की मंशा के विपरीत है। आज जहां तक मेरी जानकारी है आपने कोई इस तरह का निर्देश नहीं दिया है कि प्रश्नोतर काल नहीं रखा जाय। इस सम्बन्ध में जैसा अभी

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

माननीय सदस्य कह रहे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया सदन की परम्पराओं का, यहां पर यह परम्परा रही है कि बजट के दिन कोई भी प्रश्नोत्तर काल लिस्ट आफ बिजनेस में नहीं रहता। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई फिलोसोफी नहीं हो सकती, कोई दृष्टिकोण नहीं हो सकता, कोई सिद्धान्त नहीं हो सकता, कोई परम्परा नहीं हो सकती कि जिससे सदन की गरिमा बढ़ती हो, सदन की मर्यादा बढ़ती हो। क्योंकि इससे यदि सदन की मर्यादा बढ़ती होती तो लोक सभा में बजट पेश करने के दिन प्रश्न काल नहीं होता। मैं श्रीमान् के समक्ष लोक सभा की 28 तारीख की, जिस दिन बजट पेश हुआ, लिस्ट आफ बिजनेस पेश करता हूं ग्यारह बजे संसद का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। पहला आइटम है "Questions (entered in the separate list) दूसरा आइटम है "Motion of Thanks on the President's address.' And at 5P.M. बजट पेश किया गया इसलिये बजट पेश करने के दिन कुछ और कार्यवाही होनी ही नहीं चाहिए यह यदि गरिमा और मर्यादा का आधार है तो निश्चित रूप से, जिस प्रकार प्रान्त का सर्वोच्च स्थान यह सदन है, उसी प्रकार देश का सर्वोच्च स्थान संसद है, वहां पर भी इस प्रकार का दृष्टिकोण इस प्रकार की फिलोसोफी, इस प्रकार की विचारधारा आधारभूत नहीं थी गरिमा और मर्यादा को। इसमें सदन की परम्परा, गरिमा और मर्यादा जैसी कोई बात नहीं है। एक कन्वेंशन है और कन्वेंशन को तोड़ने के मामले में निरुत्साहित किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इससे न समाज प्रगति कर सकता है, न यह सदन प्रगति कर सकता है और न देश प्रगति कर सकता है। कन्वेंशन तोड़ने के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है कि सदस्यों का अधिकार प्रश्न पूछने का है और राज्य सरकार का दायित्व उत्तर देने का है। यह लोकतन्त्र की पद्धति पर आधारित है कि सरकार प्रश्नों का उत्तर दे। इसलिए यह नियम है कि प्रतिदिन एक घण्टा, सबसे पहला घण्टा सरकार को प्रश्नों के आंसर देने का होगा, सरकार की एबीलिटी को टेस्ट करने का होगा। लोकतन्त्र में सरकार उससे पूछे गये प्रश्नों की उत्तरदायी है जवाब देने के लिए। मेरा निवेदन है कि यदि आपने कोई निर्देश दे दिया है तो वह निर्देश जो कि हमारे अधिकारों से सम्बन्धित है, हमारी गैर हाजरी में दिया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता। यदि कोई निर्देश नहीं दिया गया है तो जब रूल्स में स्पष्ट व्यवस्था है, स्पष्ट बात लिखित में है तो बिना आपके स्पष्ट निर्देशों के बिजनेस एडजोर्न नहीं किया जावें। इस तरह से बिजनेस एडजोर्न किया जाना स्पष्ट रूप से नियमों की अवहेलना है इसलिए आज का अजेंडा रिवाइज करवाया जावे और एक घण्टे का प्रश्न काल रखा जावे। जहां तक परम्परा का सम्बन्ध है, आज पुरानी परिपाटी तो टूट गई। जब परम्परा टूट ही गई तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही हुई नहीं इसलिए प्रश्नोत्तर का समय यथावत् रखा जाय। नियमों के अनुसार पहले प्रश्नोत्तर काल हो और उसके बाद बजट भाषण प्रारम्भ किया जाय।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लेरीफाई कर दूं कि आज कोई

(श्री मदनसिंह दांता)
क्वेश्चन आॅवर था ही नहीं । अगर क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम होता तो खुशी से पहले क्वेश्चन आवर होता फिर बजट भाषण होता । लोक सभा में तो उसी दिन हो गया था। फिर लोक सभा का उदाहरण हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता । यह सदन अपने अधिकारों के लिए सर्वोपरि है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपसे इस सम्बन्ध में आपके चैम्बर में बात की थी, मुख्य मंत्री जी से भी बात की थी कन्वेंशन का जहां तक सवाल है conventions are a legacy. And if a change in the conventions is for the betterment of the society the old conventions have to be dropped. Convention if they are not for the betterment of the democracy, have to be dropped.

श्री माणकचन्द ठाकोर (नैनवा): हिन्दी आती हो तो हिन्दी बोलिए ।

श्री हरिसिंह : तो मैं कह रहा था कि कन्वेंशन्स का जहां तक सवाल है, कन्वेंशन्स किन के लिए है ? शाह ईरान, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलीजाबेथ, उनके कन्वेंशन्स हैं, उनके खाने के, पीने के, बैठने के, रहने के, सबके कन्वेंशन्स हैं । साम्राज्यों के भी अपने कन्वेंशन्स थे लेकिन, डेमोक्रेसी में सदस्यों के, पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव्ज के अधिकारों का हनन होता है तो मैं इन कन्वेंशन्स को हैल्दी कन्वेंशन्स नहीं कहता । बैटर और हैल्दी कन्वेंशन तब तक क्रियेट नहीं होंगे जब तक कि पुराने कन्वेंशन्स नहीं टूटेंगे । अगर कन्वेंशन्स नहीं टूटते हैं तो उनको कानून के हिसाब से तोड़ा जाना जरूरी है । कन्वेंशन्स की ही बात होती तो अंग्रेज अपने आप चले गये होते, राजा-महाराजा अपने आप गद्दी छोड़ देते लेकिन पब्लिक ने कन्वेंशन्स जबरदस्ती तुड़वाए । तो मैं अर्ज करूंगा और निवेदन करूंगा आपसे कि अगर करन्वेंशन्स चलाने ही हों तो वे ऐसे हों जो फोर दी बेटरमेन्ट आफ दी पब्लिक हों, जिनमें सदस्यों के अधिकारों का हनन न हो। ऐसी आप व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते हैं सदन की परम्परा रही है कि जब वित्त विधेयक इस सदन के समक्ष पेश हो उस दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं रहता । माननीय सदस्य ने जो लोक सभा की परम्परा के सम्बन्ध में संकेत किया, लोक सभा की परम्परा और लोक सभा के नियमों की पालना करने के लिए यह बाध्य नहीं है, वह लागू नहीं होती । यह सदन सुप्रीम है । इस सदन ने निर्णय ले लिया, इस सदन की परम्परा रही है कि वित्त विधेयक इस सदन में जिस दिन आवे उस दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं रखा जावे । अतएव मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

आपने यह भी कहा कि अगर कन्वेंशन अनहैल्दी हो तो रूल के ऊपर वह तरजीह नहीं पाता । यह एक विवादास्पद विषय है । इसको नियम समिति के सामने माननीय सदस्य रख सकते हैं । उसका निर्णय जो कुछ नियम समिति करेगी उसके अनुसार यहां फिर से आपके सुझाव सदन के समक्ष आयेंगे और सदन जो कुछ भी स्वीकार करेगा वह सर्वमान्य होगा । अतः आज जो परम्परा सदन

(श्री अध्यक्ष)

की है और जो कन्वेंशन है वह कन्वेंशन ओवर राइट करता है रूल्स को। उसी कन्वेंशन के अनुसार आज का प्रश्नोत्तर काल नहीं रखा गया है। अतएव मैं आपकी आपत्ति को निरस्त करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे आप ही रूल समिति को रेफर कर दें तो बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में फिर से मेरे से चेम्बर में मिल कर बात करेंगे उसके बाद जो कुछ भी आपके मेरे बीच में तय होगा उसके अनुसार, व्यवस्था करने की मैं चेष्टा करूंगा।

माननीय वित्त मंत्री जी।

राज्य के विस्तृत वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1978–79 का उपस्थापन

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1977–78 के संशोधित अनुमान तथा 1978–79 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. आज से 6 माह पूर्व चालू वर्ष के परिवर्तित अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने नई सरकार की आर्थिक नीति के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन किया था। अगले वर्ष के प्रस्तावित बजट में भी हमने उसी दिशा में अग्रसर होने का प्रयास किया है। हमारा ध्येय है कि पूर्ण व्यक्ति स्वातंत्र्य के जनतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में प्रदेश का बहुमुखी आर्थिक विकास हो तथा विकास की गंगा के इस प्रवाह से कोई गांव और कोई गरीब अछूता न रहे।

3. पिछली सरकार द्वारा अपने शासन के अंतिम दिनों में किये गये अनियंत्रित भारी व्यय के फलस्वरूप इस वर्ष के अधिकांश भाग में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं। लेकिन हमने अनुत्पादक एवं अनावश्यक व्यय में हर संभव कमी की तथा मुनाफाखोरी व जमाखोरी की प्रवृत्तियों पर बराबर अंकुश बनाए रखा। इसके फलस्वरूप अब खाद्यान्नों, खाद्य तेलों व चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्पष्टतः गिरावट आई है। हम इस दिशा में हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं के दाम और घटें तथा उनके उत्पादन व वितरण की व्यवस्था उत्तरोत्तर व्यापक, लोकहितकारिणी, सुदृढ़ तथा प्रभावशाली बने।

4. राज्य में इस वर्ष बहुत असमान वृष्टि हुई। अतिवृष्टि और बाढ़ से लगभग 75 करोड़ रुपये की क्षति हुई तथा 19 जिलों के 12,200 ग्रामों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य सरकार ने इस विषम स्थिति से निपटने के लिए सामयिक एवं समुचित कदम उठाये हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, तालाबों व नहरों आदि की मरम्मत तथा प्रभावित हुए लोगों की तत्काल सहायता के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त 7.97 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता के अतिरिक्त 2.12 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 10,000 टन गेहूं अभावग्रस्त लोगों की सहायतार्थ बांटा जा रहा है। जिलों में राहत कार्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस वर्ष इन कार्यों पर 'कार्य हेतु अनाज' योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनाज पर व्यय के अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। 1978–79 में राहत कार्यों पर

(श्री आदित्येन्द्र)

आवश्यकतानुसार अधिक व्यय स्वीकृत किया जाएगा।

5. आर्थिक विकास में प्रकृति के कोप-जन्य इस व्याघात के बावजूद राज्य में सन्तोष-जनक योजनाबद्ध विकास हुआ है। भूतपूर्व सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिए बनाई हुई 168 करोड़ रुपये की मूल योजना के आकार को बढ़ाकर परिवर्तित अनुमानों में लगभग 197 करोड़ रुपये का किया गया था संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष में कुल योजना व्यय 198.94 करोड़ रुपये होने की आशा है।

6. श्रीमन्, मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि 1978–79 की वार्षिक योजना का आकार 235 करोड़ रुपये से भी अधिक का होगा अगले वर्ष की योजना पिछली सरकार द्वारा बनाई हुई चालू वर्ष की योजना से 40.46 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमानों की तुलना में 18.61 प्रतिशत बड़ी होगी। इसके अतिरिक्त 'कार्य हेतु अनाज' योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष की योजना में 10 करोड़ रुपये तक की वृद्धि और की जा सकेगी। योजना व्यय का मदवार संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है:—

मद	वार्षिक योजना व्यय 1977-78	संशोधित योजना व्यय 1977-78	वार्षिक योजना व्यय 1978-79	प्रतिशत वृद्धि	
				मूल योजना पर	संशोधित योजना पर
	(करोड़ रुपये में)				
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	18.45	21.35	25.86	40.16	21.12
2. सहकारिता	1.78	2.00	2.11	18.54	5.50
3. सिंचाई एवं विद्युत् विकास	105.85	121.05	139.35	31.65	15.12
4. उद्योग एवं खनिज	4.31	5.57	8.19	90.02	47.04
5. परिवहन एवं संचार	9.87	15.36	18.04	82.78	17.45
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	27.11	32.55	41.05	51.42	26.11
7. अन्य	0.63	1.06	1.37	117.46	29.24
योग	168.00	198.94	235.97	40.46	18.61

(श्री आदित्येन्द्र)

7. अब मैं आपकी अनुमति से अगले वर्ष की योजना के कुछ मदों के विशेष बिन्दुओं का संक्षेप में जिक्र करना चाहूंगा।

कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं

8. इस मद में इस वर्ष की संशोधित योजना के आकार में 21.12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस क्षेत्र में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं—मरु तथा सूखा सम्भावित क्षेत्रों का विकास, सिचाई तथा अन्य कृषि साधनों का विस्तार, आधुनिक खेती के नए साधनों तथा नवीनतम जानकारी का त्वरित प्रचार व प्रसार तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों का आर्थिक विकास। अगले वर्ष की योजना में इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

(i) मरु एवं सूखा संभावित क्षेत्रों का विकास

9. मरु विकास के लिए इस वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अगले वर्ष मे इसे बढ़ाकर लगभग 11 करोड़ रुपये किया जा रहा है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास के लिए भी अगले वर्ष 12 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब ग्रामीण पेयजल व्यवस्था भी सम्मिलित कर ली गई है और चूरू, बीकानेर तथा बाड़मेर जिलों में 3.45 करोड़ रुपये की लागत से 13 जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों में चरागाह विकास, वन विकास, भेड़ पालन, पशुपालन एवं भूमि विकास आदि कार्यक्रमों को भी पूर्वापेक्षा अधिक विशाल पैमाने पर हाथ में लिया जा सकेगा। मरु भूमि में प्राकृतिक वनस्पति-असंतुलन को दूर करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम चालू किये जायेंगे।

(ii) सिचाई एवं कृषि साधनों का विस्तार

10. सिचाई परियोजनाओं द्वारा अगले वर्ष में कुल 83.000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होने का अनुमान है। चालू वर्ष के 14.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में अगले वर्ष 15.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीज बोए जाने की योजना है इसी प्रकार उर्वरकों की खपत भी चालू वर्ष के 1.27 लाख टन की तुलना में बढ़कर अगले वर्ष 1.37 लाख टन होने की संभावना है। इस वर्ष 49.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्यक्रम चालू किए गए हैं, परन्तु अगले वर्ष इस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि कर 54 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

(iii) कृषि शिक्षा प्रसार

11. इस क्षेत्र में जो प्रगति सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है वह यह है कि विश्व बैंक की सहायता से राज्य के 17 जिलों में एक कृषि प्रसार एवं अनुसंधान योजना चालू की गई है। इस योजना पर पांच वर्षों में लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस योजना के अन्तर्गत कृषि की नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षित ग्राम प्रसार कार्यकर्ता इन तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे। ऐसी आशा है कि इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आशातीत वृद्धि होगी। इस साल के 1.39 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में अगले वर्ष इस योजना के लिये 2.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(श्री आदित्येन्द्र)

(iv) लघु सिंचाई योजनाएं

12. 1978–79 में लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल 14.43 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें सांस्थानिक वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है। अगले वर्ष राज्य भूमि विकास बैंक को 7.50 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकार ऋण-पत्रों के समर्थन के लिए 60 लाख रुपये देगी। भू-जल विभाग लघु सिंचाई योजनाओं के प्रवर्तन की संभावनाओं का पता लगाने के लिये अगले वर्ष बनास, साबी व लूनी नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्र में भी भू-जल का अन्वेषण करेगा।

(v) कृषि मण्डियां

13. कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदत्त 6.46 करोड़ रुपये की सहायता से इस वर्ष 17 कृषि मंडियों का निर्माण कराया जा रहा है। अगले वर्ष 11 नई मंडियों के लिये निगम से 6.78 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

(vi) लघु एवं सीमान्त कृषक विकास

14. लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की सहायतार्थ स्थापित अभिकरणों से मिलने वाले लाभ को इस वर्ष राज्य के समस्त जिलों में उपलब्ध करा दिया गया है। 1978–79 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 7.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे एक लाख 33 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

(vii) सिंचित क्षेत्रों का सघन विकास

15. राजस्थान नहर और चम्बल क्षेत्र में सघन कृषि विकास कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चल रहे हैं। इनमें नहरें व सड़कें बनाने, वनरोपण तथा डिग्गियों आदि के निर्माण के लिये क्रमशः लगभग 11 करोड़ तथा 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की सहायता से दो और परियोजनाएं—उत्तर पश्चिम भाखरा तथा गंग नहर—प्रारंभ की गई हैं जिन पर कुल व्यय लगभग 12 करोड़ रुपये होगा।

16. राजस्थान नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र के लिए अगले वर्ष 7.30 करोड़ रुपये की सहायता से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। चम्बल सिंचाई क्षेत्र में 8,000 हेक्टेयर पर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए अगले वर्ष 2.20 करोड़ रुपये की सांस्थानिक वित्तीय सहायता प्राप्त होने की आशा है। इनके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भाखरा तथा गंग नहर परियोजनाओं के क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 3.50 करोड़ रुपये की सांस्थानिक वित्तीय सहायता और प्राप्त की जाएगी। नए सिंचाई क्षेत्रों के लिए विकास परियोजनाओं की तैयारी करने हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(viii) पशुधन विकास

17. पशु चिकित्सा के साधनों का विस्तार करने के उद्देश्य से अगले वर्ष

(श्री अादित्येन्द्र)

जयपुर, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर में चार पोली-क्लीनिक्स खोलने का प्रस्ताव है, जिनके लिए 8.43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पोली-क्लीनिक्स से एक ही स्थान पर पशुओं के लिए उत्तम उपचार एवं सभी मूलभूत आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 1978–79 में एक सूखा रोग नियन्त्रण यूनिट भी 7.10 लाख रुपये की लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत जोधपुर बाड़मेर, जैसलमेर सीकर व बीकानेर में पांच उप-नियन्त्रण दल होंगे। 'बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी' के लिये अगले वर्ष में अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान अब प्रतिवर्ष 185 लाख वेक्सीनों का उत्पादन कर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। विशिष्ट पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष लगभग 7,000 परिवार लाभान्वित होंगे।

(ix) दुग्ध उत्पादन

18. राज्य में दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमों का विस्तार उत्साहजनक रहा है। 1978–79 में जोधपुर तथा बीकानेर की डेयरियों की क्षमता को एक लाख लीटर से बढ़ाकर 1.5 लाख लीटर करने का प्रस्ताव है। पोकरण, पाली, बालोतरा, मेड़तासिटी, लूणकरणसर, सरदारशहर और मालपुरा स्थित चिलिंग सेण्टरों का विस्तार कार्य इस वर्ष पूर्ण हो जाएगा। अगले वर्ष झुंझुनूं चिलिंग केन्द्र का कार्य भी पूर्ण हो जाने की आशा है। अजमेर डेयरी की क्षमता को 25 हजार लीटर से बढ़ाकर एक लाख लीटर प्रतिदिन करने का कार्य भी प्रगति पर है। दो नई डेयरियां–अलवर और जयपुर में स्थापित की जा रही हैं। इनकी क्षमता क्रमशः एक लाख व 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। इस योजना को सवाई-माधोपुर, टौंक एवं सीकर जिलों में भी लागू किये जाने का प्रस्ताव हैं। अगले वर्ष बाड़मेर, फलौदी, राजगढ़ ब्यावर, विजय-नगर, दौसा, कोटपूतली, तिजारा, नदबई, हिन्डौन एवं बांसवाड़ा में भी नये चिलिंग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। परिणामतः इस वर्ष दुग्ध उत्पादन का दैनिक औसत जो 3 लाख लीटर है अगले वर्ष बढ़कर 4 लाख लीटर हो जाएगा, तथा इस कार्यक्रम से लाभान्वित परिवारों की संख्या 80,000 से बढ़कर एक लाख हो जाएगी। अगले वर्ष इन योजनाओं पर कुल 11.29 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(x) वन विकास

19. सरकार ने अवरकोटि के वनों के पुनरुद्धार एवं पुनर्रोपण का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य वनों के कार्यक्रम भी केन्द्रीय सहायता से अधिक व्यापक रूप से चालू किये जा रहे हैं। अगले वर्ष सूखा सम्भावित क्षेत्रों में वन विकास पर लगभग एक करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायगी तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 1.91 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। मरु विकास योजना के अन्तर्गत भी वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिये समुचित प्रावधान रखा गया है। अगले वर्ष वन विकास योजनाओं पर 12 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि व्यय किये जाने का अनुमान है।

(श्री प्रादित्येन्द्र)

सहकारिता

20. सहकारिता वर्ष 1977—78 में 75 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 7 करोड़ रुपये के मध्यकालीन, एवं 15 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनकी तुलना में अगले वर्ष 95 करोड़ रुपये के अल्पकालीन व 5 करोड़ रुपये के मध्यकालीन तथा 20 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये जाने की संभावना है।

21. सहकारिता वर्ष 1977—78 में राज्य के 68 प्रतिशत परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस हेतु सदस्यता अभियान भी चालू किया गया है। वर्ष 1978—79 में राज्य के शत प्रतिशत गांवों को सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

22. चालू वित्तीय वर्ष में 62 ग्रामीण गोदाम व 13 मंडी स्तर के गोदाम बनाये जा रहे हैं। अगले वर्ष 200 ग्रामीण गोदाम व 10 मंडी स्तर के गोदाम बनाये जाने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया गया है। नये गोदामों के निर्माण से सहकारी गोदामों की भंडारण क्षमता 1.78 लाख टन से बढ़कर 2 लाख टन के ऊपर पहुंच जाएगी। सहकारी उपभोक्ता संघ व उपभोक्ता भंडारों के जरिये कपड़ा, खाद्य तेल व अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा औषधियों के वितरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस वर्ष 50 जनता दुकानें खोली जा रही हैं व अगले वित्तीय वर्ष में 15 बड़ी व 50 छोटी जनता दुकानें और खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

23. गृह निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सहकारी गृह निर्माण फाइनेंस सोसाइटी के माध्यम से कमजोर वर्गों के तथा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों द्वारा गठित गृह निर्माण सहकारी समितियों को दीर्घ-कालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए 1977-78 में रखे गये 1.50 करोड़ रुपये के लक्ष्य को बढ़ाकर अगले वर्ष 2.50 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है।

जल एवं विद्युत् विकास

24. अगले वर्ष की योजना में जल एवं विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 1977-78 में 64.47 करोड़ रुपये के परि-व्यय को बढ़ाकर 1978-79 में 69.08 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आशा है कि 1978-79 में डीया, झाड़ोल व लसाड़िया की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान नहर के लिए 2 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता को शामिल करते हुए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा अगले वर्ष में भी इतना ही व्यय करने का प्रस्ताव है। परियोजना के प्रथम चरण सम्बन्धी समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए अगले वर्ष में 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि आवटिंत करने से मुख्य नहर का निर्माण कार्य चालू रहेगा तथा दातोर ब्रांच सिस्टम से नई सिंचाई की क्षमता पैदा होगी।

Page No 14

(14)

(श्री आदित्येन्द्र)

25. अब तक सिंचाई साधनों की जो क्षमता सृजित हो चुकी है, उसका अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से वर्तमान नहर प्रणालियों के नवीनीकरण के लिए 1978-79 में पहली बार प्रयत्न किए जायेंगे। इस प्रयोजनार्थ अगले वर्ष के बजट में लगभग 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य के लिए भी अगले वर्ष के बजट में 49 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

26. विद्युत् के लिए इस वर्ष के 53.25 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर अगले वर्ष में 70 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कोटा ताप बिजलीघर के लिए अगले वर्ष 7.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत् मंडल 2.50 करोड़ रुपये की राशि जीवन बीमा निगम से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेगा। ई. एच. टी. कार्यों के लिए 25.66 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस राशि से 1978-79 में निम्न तीन नई ई. एच. टी. लाइनों पर भी कार्य प्रारम्भ हो जाएगा:–

(1) निम्बाहेड़ा-चित्तौड़

(2) कोटा-मोड़क-झालावाड़

(3) सूरतगढ़-पदमपुर

राज्य में विद्युत् वितरण हेतु लाइनों का जाल बिछाने, सब-ट्रान्समीशन एवं वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम करने व ट्रान्समीशन लाइनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 1977-78 में 6 करोड़ रुपये के मुकाबले 1978-79 में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष ग्रामीण विद्युतिकरण पर लगभग 14.80 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। जिससे 1,800 नयी बस्तियों तथा 25,000 नए कुओं का विद्युतिकरण किए जाने का अनुमान है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर-डेचू-पोकरण लाइन पर भी कार्य प्रारम्भ हो चुका है जो अगले वर्ष पूरा हो जाएगा।

उद्योग एवं खनिज

27. 1978-79 में इस मद के अन्तर्गत कुल 8.19 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें से 3.12 करोड़ रुपए राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के माध्यम से व्यय किये जाएंगे। औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए 16 जिलों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 1978-79 में 15.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। शिक्षित बेरोजगारों को 'मार्जिन मनी' देने के लिए भी 20 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। राजस्थान वित्त निगम ने लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है। चालू वर्ष में निगम द्वारा स्वीकृत कुल 5.40 करोड़ रुपए के ऋणों में से 4.74 करोड़ रुपए के ऋण 383 लघु उद्योग इकाइयों को स्वीकृत हुए हैं। अगले वर्ष निगम ने 9 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

28. सरकार खादी उद्योग के विकास को सर्वाधिक महत्व देती है। 1977-78

Page No 15

15

(श्री आदित्येन्द्र) में ऊनी खादी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1976-77 में 4.74 करोड़ रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन हुआ था। 1977-78 में यह उत्पादन लगभग 7 करोड़ रुपये का हो जाने का अनुमान है। अगले वर्ष में 9.25 करोड़ रुपये के मूल्य की ऊनी खादी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

29. राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऊनी खादी के विकास के लिए व्यावसायिक बैंकों से जो ऋण खादी बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, उस पर देय ब्याज में से 4 रु. सैकड़ा ब्याज सरकार अनुदान के रूप में देगी तथा शेष ब्याज खादी बोर्ड स्वयं वहन करेगा। चालू वित्तीय वर्ष में खादी बोर्ड को व्यावसायिक बैंकों से 1.08 करोड़ रुपये का ऋण सरकार की सहायता से उपलब्ध कराया गया है। 1978-79 में 2 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में प्राप्त होने की संभावना है।

सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

(1) शिक्षा

30. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1977-78 तक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं उनके फलस्वरूप अब 500 या उससे अधिक की आबादी वाले लगभग सभी गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, किन्तु 300 या उससे अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा सुविधा के राष्ट्रीय लक्ष्य के स्तर से हम अभी भी काफी दूर है। प्रारम्भिक शिक्षा जैसे बुनियादी एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र में राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर के मध्य वर्तमान अन्तराल को यथाशीघ्र कम करने की दिशा में प्रभावी प्रयत्न करने की दृष्टि से 1978-79 में 845 नई प्राथमिक शालाएं एवं 100 नई उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रस्ताव है। प्रवेश संख्या में वृद्धि तथा शाला जाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए 3 लाख रुपये आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे 12,000 बालक लाभान्वित होंगे।

31. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के अवसर से वंचित रहे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूर्णरूपेण सजग है। अगले वर्ष के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 41 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

32. शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भी अतिरिक्त व्यय स्वीकृत किया गया है। वर्तमान शालाओं के छात्र अध्यापक अनुपात को समुचित बनाने के दृष्टिकोण से वांछित 1,430 शिक्षकों के नये पद अगले वर्ष सृजित किए जाएंगे।

(ii) चिकित्सा

33. चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी नीति ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की है। इस वर्ष काफी संख्या में उपकेन्द्र एड पोस्ट व डिस्पेंसरियां खोली गई हैं तथा कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत भी किया गया है। अगले वर्ष की योजना में 296 उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप

(श्री आदित्येन्द्र)

प्रति दस हजार व्यक्तियों पर एक उपकेन्द्र खोलने का पांचवीं योजना का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अगले वर्ष पांच और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पतालों के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा आदिवासी क्षेत्रों में 4 उपकेन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

34. इसके अतिरिक्त प्रत्येक उप-संभागीय अस्पताल में तथा दस हजार एवं इससे अधिक आबादी वाले नगरपालिका कस्बों में स्थित समस्त अस्पतालों या प्रसूति गृहों में एक महिला चिकित्सक की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अगले वर्ष के बजट में आवंटन किया गया है और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इन अस्पतालों में औषधियों एवं उपकरणों के प्रावधानों में भी वृद्धि की गई है।

35. राज्य सरकार 'मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया' द्वारा निर्धारित पैटर्न के आधार पर शिक्षकों के पद सृजित करने का प्रयास कर रही है और इस प्रयोजनार्थ 1978–79 में राज्य के विभिन्न चिकित्सा कालेजों में विभिन्न विषयों के लिए 92 पद सृजित किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाने के लिए चालु वित्तीय वर्ष में मेडिकल कालेज, जयपुर द्वारा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चुना गया है तथा अगले वित्तीय वर्ष में यह सुविधा अन्य अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 'आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स' ने राजस्थान के एक जिले को अपनी फेकल्टी एवं छात्रों के माध्यम से उन्नत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु चुना है।

36. आयुर्वेद क्षेत्र में, विशेषरूप से आदिवासी एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी एक समस्या बनी हुई है। अतः 1978–79 में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए 2 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे आदिवासी लोगों को आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों एवं नर्सों के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

(iii) पेय जल व्यवस्था

37. जनता प्रशासन राज्य में व्याप्त पेय जल समस्या को द्रुत गति से हल करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान जल समस्या की गंभीरता को समझकर केन्द्र सरकार ने इस वर्ष 2.50 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिए हैं तथा अगले वर्ष भी इससे दुगुनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है। 1978–79 में 350 ग्रामों में जल प्रदाय योजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे करीब साढ़े तीन लाख ग्रामीण जनों के लिए पेय जल की व्यवस्था हो जाएगी। शहरी जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन के लिए भी आवश्यक प्रावधान रखा गया है। अगले वर्ष के बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 13.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 9 करोड़ रुपये ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय होंगे। केन्द्र सरकार से अपेक्षित अतिरिक्त सहायता प्राप्त होने पर इसमें और वृद्धि होगी। वातावरण प्रदूषण व कच्ची बस्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु भी अगले वर्ष 87.97 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(श्री आदित्येन्द्र)

(iv) समाज कल्याण

38. समाज कल्याण कार्यक्रमों एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों के लिये अगले वर्ष की योजना में 86.35 लाख रुपये की राशि व्यय किये जाने का अनुमान है। अगले वर्ष अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये और नये छात्रावास खोलने का निश्चय किया गया है। विकलांगों को रोजगार दिलाने में मदद देने के लिये एक नया प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जा रहा है।

केन्द्र प्रर्वतित योजनायें तथा सांस्थानिक वित्तीय विनियोजन

39. राज्य योजनाओं के अतिरिक्त जिनके लिए 235.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, अनेक केन्द्र प्रर्वतित योजनाएं भी हैं, जिनके लिए ऋण अथवा अनुदान के रूप में सामान्यतया शत प्रतिशत सहायता केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इन योजनाओं के लिए इस वर्ष 40.59 करोड़ रुपये तथा अगले वर्ष 41.55 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य योजना तथा केन्द्र प्रर्वतित योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से भी राज्य में चल रही योजनाओं में विनियोजन हो रहा है। 1977-78 में 183.59 करोड़ रुपये के इस प्रकार के विनियोजन की तुलना में अगले वर्ष लगभग 190 करोड़ रुपये के विनियोजन की आशा है।

विकास व्यय

40. केवल योजनागत प्रावधानों के आधार पर ही विकास पर होने वाले व्यय का सम्पूर्ण स्वरूप सामने नहीं आता है क्योंकि विकास के लगभग हर मद में पिछली योजनाओं पर किया हुआ व्यय, योजना-भिन्न व्यय बन जाता है और भविष्य की योजनाएं इन्हीं सम्मिलित प्रावधानों के कंधों पर आगे बढ़ती हैं। विकासोन्मुख शासन विकास व्यय में वृद्धि करता है और विकास-भिन्न व्यय के प्रतिशत को कम करता है। यही प्रगतिशील शासन की एक सुपरिचित कसौटी है।

41. वर्तमान एवं आगामी वर्ष में संभावित विकास व्यय तथा विकास-भिन्न व्यय की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :—

	परिवर्तित बजट प्रावधान 1977-78	संशोधित अनुमान 1977-78	बजट प्रावधान 1978-79
	(करोड़ रुपये में)		
क—विकास व्यय			
(i) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	201.70	204.13	214.66

(श्री आदित्येन्द्र)

(ii) आर्थिक सेवायें	249.26	268.81	293.18
योग–क	450.96	472.94	507.84
ख–विकास–भिन्न व्यय			
(i) सामान्य सेवाएं			
(अ) ब्याज भुगतान	61.55	58.14	67.60
(ब) अन्य व्यय	92.58	97.10	103.85
	154.13	155.24	170.85
(ii) ऋणों का भुगतान	44.73	48.74	46.38
योग–ख	198.86	203.98	217.23
कुल योग	649.82	676.92	725.07

42. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा अनुमानित 315.36 करोड़ रुपये के विकास व्यय को नई सरकार ने परिवर्तित अनुमानों में बढ़ाकर 450.96 करोड़ रुपये किया था। अब संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष 472.94 करोड़ रुपये का विकास व्यय किया जाएगा। 1978–79 के अनुमानों में विकास व्यय को बढ़ाकर 507.84 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस प्रकार अगले वर्ष विकास व्यय में भूतपूर्व सरकार द्वारा बनाये हुए बजट की अपेक्षा 22.27 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

43. 1977–78 के परिवर्तित बजट में विकास व्यय राज्य के कुल व्यय का 69.40 प्रतिशत था जो कि 1978–79 के बजट अनुमानों में बढ़कर 70.04 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर विकास-भिन्न व्यय जो कि 1977–78 के परिवर्तित अनुमानों में 30.60 प्रतिशत था घटकर अगले साल के बजट अनुमानों में 29.96 प्रतिशत ही रह गया है।

44. यह उल्लेखनीय है कि विकास-भिन्न व्यय का आधे से भी अधिक भाग भूतपूर्व सरकार द्वारा लिए हुए ऋणों के

(श्री आदित्येन्द्र)

भुगतान तथा उस पर व्याज चुकाने में खर्च होता है। सामान्य सेवाओं पर व्यय तो विकास व्यय का 20.45 प्रतिशत मात्र है।

45. कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाले सम्पूर्ण विकास व्यय अर्थात् योजना तथा योजना-भिन्न व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से हमारी सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी।

(1) शिक्षा के मद में भूतपूर्व सरकार द्वारा रखे हुए इस वर्ष के 99.08 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर अगले वर्ष के बजट अनुमानों में 109.66 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(2) चिकित्सा एवं परिवार-कल्याण के इस वर्ष के 34.28 करोड़ रुपये के मूल प्रावधानों को बढ़ाकर अगले साल के लिए 39.54 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(3) जल प्रदाय योजनाओं तथा सेनीटेशन के लिए पूर्व में 26.45 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर अगले साल के लिए 31.97 करोड़ रु. कर दिया गया है। लगभग 5 करोड़ रुपये भारत सरकार से और मिलने की आशा है, जिन्हें मिलाकर कुल व्यय लगभग 37 करोड़ रुपये तक पहुंच सकेगा।

(4) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के मद में इस वर्ष 8.70 करोड़ रुपये के मूल प्रावधान को बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 12.33 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें भारत सरकार से आने वाली संभावित सहायता जोड़ने के बाद यह राशि लगभग 14.33 करोड़ रुपये हो जाएगी।

(5) कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं पर मूल 61.42 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर अगले वर्ष 77.14 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(6) जल और विद्युत् विकास के लिए इस वर्ष के 123.32 करोड़ रुपये के मूल प्रावधान को बढ़ाकर 1978–79 के लिए 159.85 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(7) यातायात और सड़क निर्माण के मद में भूतपूर्व सरकार द्वारा 1977–78 के लिए किए गए 16.43 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर नई सरकार ने 1978–79 में 29.07 करोड़ रुपये कर दिया है। ऐसी आशा है कि इसमें भारत सरकार से लगभग 2.5 करोड़ रुपये की राशि और प्राप्त होगी और इस प्रकार अगले वर्ष यह राशि 31.57 करोड़ रुपये के निकट पहुंच जाएगी।

ग्राम विकास

46. हमारी आर्थिक नीति के लक्ष्य हैं। विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था द्वारा सर्वांगीण ग्राम विकास, बेरोजगारी उन्मूलन, निर्धनता निवारण तथा ग्राम्य और कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ वित्तीय आधार का निर्माण। अब मैं बजट में दिये गये व्यय अनुमानों का इन नीतियों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण प्रस्तुत करता हूं।

47. अगले वर्ष के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर अपेक्षाकृत

(श्री आदित्येन्द्र)

अधिक प्रावधान किया जा रहा है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

	चालू वर्ष के परिवर्तित अनुमान	अगले वर्ष के अनुमान
	(करोड़ रुपये में)	
1. ग्रामीण सड़कें	9.04	10.10
2. ग्रामीण विद्युतीकरण	12.25	14.80
3. ग्रामीण पेय जल व्यवस्था आदि	12.83	11.62
4. ग्रामीण शिक्षा	56.43	59.51
5. ग्रामीण स्वास्थ्य	3.75	4.45
6. अन्त्योदय	0.25	2.00
7. ग्रामीण आर्थिक एवं कृषि विकास	185.70	215.09
योग :	280.25	317.75

48. उपरोक्त अनुमानों के अतिरिक्त अगले वर्ष ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये, ग्रामीण सड़कों के लिए 2.5 करोड़ रुपये तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपये और मिलने का अनुमान है। तदनुसार अगले वर्ष ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुल प्रावधान 327.07 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस प्रकार कुल विकास व्यय का 64.40 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाएगा।

रोजगार

49. इस वर्ष की तरह अगले वर्ष का विकास व्यय भी रोजगार मूलक है। आशा है कि विकास के विभिन्न मदों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के फलस्वरूप लगभग 3 लाख 40 हजार व्यक्तियों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त लघु और सीमांत कृषकों की योजनाबद्ध सहायता द्वारा तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर लगभग 3 लाख व्यक्तियों को आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

50. शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। विभिन्न तकनीकी स्नातकों के लिए 716, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 514, कृषि स्नातकों के लिए 480, पशु चिकित्सकों के लिए 85, डाक्टरों के लिए 120, कला विषयों में स्नातकों के लिए 1,565, मेट्रिकुलेट्स के लिए 6,540 और आई. टी. आई. शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए 3,000 के लगभग स्थान मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों के लिए 'मारजिन मनी' देने की योजना के अतिरिक्त भी अनेक व्यक्ति लाभ उठाकर अपनी जीविका का साधन जुटा सकेंगे।

विकेन्द्रीकरण

51. विकेन्द्रित राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ाए गए कदमों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं—हाल ही में सम्पादित पंचायतों के चुनाव तथा पंचायतों को दी जाने वाली राजकीय अनुदान राशि में वृद्धि। कोई भी स्वायत्त संस्था एक सुदृढ़ वित्तीय आधार के बिना जनहित के कार्य सुचारु रूप से संपादित नहीं कर सकती। अब तक पिछली सरकारें पंचायतों को केवल 25 पैसे प्रति व्यक्ति के आधार पर अनुदान देती

(EV)

(श्री आदित्येन्द्र)

थीं। अब इसे बढ़ाकर ढाई रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इस प्रकार अब इन संस्थाओं को 53 लाख रुपये प्रति वर्ष के स्थान पर लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। आशा है कि पंचायत संस्थाएं इतनी ही राशि अपने प्रयत्नों से भी जुटाएंगी। इस प्रकार लगभग नौ-दस करोड़ रुपया प्रति वर्ष पंचायतों के द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रमों में व्यय किया जा सकेगा।

अन्त्योदय

52. यह सर्वविदित है कि योजनाओं के आकार के विस्तार मात्र से निर्धनता का निवारण अपने आप नहीं हो जाता क्योंकि जैसा कि पिछले वर्षों का अनुभव रहा है इन पर किए गए व्यय का अधिकांश लाभ अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों तक ही सीमित रहता रहा है। इसी प्रकार सभी ग्राम भी सारी योजनाओं से एक साथ लाभान्वित नहीं होते। समाज व प्रदेश की न्यूनतम इकाइयां अर्थात् गरीब व ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन की पेचीदा वीथियों में बहुधा अदृष्ट रह जाते हैं। इस स्थिति में सुधार करने के लिए हमने इस वर्ष एक नया प्रयोग 'अन्त्योदय' योजना प्रारम्भ कर प्रत्येक ग्राम के निर्धनतम पांच व्यक्तियों को प्रचलित विभिन्न विकास योजनाओं की धाराओं से जोड़कर स्वावलम्बी बनाने का संकल्प किया था।

53. चालू वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 31,196 ग्रामों में ग्राम सभाओं आदि की सहायता से 1 लाख 54 हजार गरीब परिवारों को छांटा जा चुका है व उन्हें स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम प्रगति पर है। इस योजना के क्रियान्वयन के प्रथम 5 महीनों में अब तक लगभग 45,000 व्यक्तियों के लिए कुछ न कुछ जीविकोपार्जन के साधन जुटा दिए गए हैं।

54. इस प्रकार के किसी भी नये चुनौतीपूर्ण व वृहद् कार्यक्रम को हाथ में लेने में प्रारम्भिक कठिनाइयां आना स्वाभाविक है तथापि हमें विश्वास है कि दृढ़ संकल्प, सूझ-बूझ व जन-प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से इन कठिनाइयों का निवारण किया जा सकेगा। हमारा यह प्रयत्न होगा कि अब तक चयन किये हुए सारे लोगों को निर्वाह करने लायक रोजगार 1978–79 में अवश्य उपलब्ध करवा दिए जांए। 1978–79 इस कार्यक्रम के विस्तार के अनुरूप वित्तीय प्रावधान भी 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये रखा गया है।

समग्र ग्रामोदय

55. पूरे ग्राम के विकास के लिए एक संश्लिष्ट और व्यापक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की अब तक कोई पद्धति नहीं रही है। अतः अनेक ग्राम विकास योजनाओं की धाराओं से अपेक्षाकृत अछूते ही रह रहे हैं।

56. अतः अगले वर्ष ग्रामों के विकास को भी पिछड़े हुए व्यक्तियों और वर्गों के विकास की तरह तत्परता, एकाग्रता व उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित करने के ध्येय से 'समग्र ग्रामोदय योजना' प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। जिसके अन्तर्गत उपलब्ध साधनों के आधार पर प्रत्येक ग्राम के विकास की एक बहुमुखी विस्तृत योजना

(श्री आदित्येन्द्र)

बनाई जाएगी । इस योजना का लक्ष्य निर्धारित अवधि में इन ग्रामों में बेरोजगारी को समाप्त करना, ग्राम के सभी निर्धन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना तथा ग्राम की प्रति व्यक्ति औसत आय में निश्चित वृद्धि करना होगा ।

57. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ऐसे 4 ग्रामों को जिनकी जनसंख्या 500 से ऊपर हो, सर्वांगीण विकास और उन्नति के कार्यक्रम चलाने के लिए चुना जाएगा । समग्र ग्रामोदय योजना को सम्पादित करने के लिए इसे प्रचलित विभिन्न योजनाओं की धाराओं से जोड़ना होगा । यदि वर्तमान वित्तीय प्रावधान इसके लिए अपर्याप्त रहे तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि सुलभ कराई जाएगी । आशा है कि 1978–79 में 104 ग्रामों की समग्र विकास योजनाएं तैयार होकर क्रियान्वित होने लगेंगी ।

राज्य कर्मचारी कल्याण

58. राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार निम्न कदम उठाने का प्रस्ताव करती है:—

1. दिनांक 1-9-1976 के बाद सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों की न्यूनतम पेन्शन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 1-9-76 से इनकी पेन्शन 40/– रुपये से बढ़ाकर 60/– रुपये कर दी गई है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान पेन्शनरों को दिनांक 1-9-1976 एवं 1-4-1977 से जो पेन्शन में वृद्धि स्वीकृत की गई है, उसका लाभ जागीर पेन्शनरों को, भूतपूर्व अजमेर, बम्बई और मध्यभारत राज्य के उन पेन्शनरों को, जिन पर कि 1-11-1956 से पूर्व प्रभावशील पेन्शन नियम लागू थे तथा उन पेन्शनरों को जिन्हें अजमेर एबोलीशन ऑफ इन्टरमीजियरीज एण्ड लैण्ड रिफार्म्स (पेन्शन टू इन्टरमीजियरीज एप्लाईज) रूल्स, 1962 के अन्तर्गत स्वीकृत पेन्शन मिल रही है, भी दिया जाए ।

3. 1-9-1976 से पूर्व सेवा निवृत्त पेन्शनरों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 1-3-78 से निम्नलिखित दरों पर पेन्शन में वृद्धि करने का निश्चय किया है:–

120/– रुपये प्रतिमाह से कम पेन्शन पाने वालों के लिए	5/–
120/– रुपये प्रतिमाह तथा उससे अधिक किन्तु 500/– रु. से कम पेन्शन पाने वालों के लिए	10/–
500/– रुपये प्रति माह या उससे अधिक पेन्शन पाने वालों के लिए	15/–

4. मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली धनराशि में भी वृद्धि की गई है ।

5. विश्राम भत्ते की वर्तमान दरें 1-9-1971 को निश्चित की गई थीं । सरकार ने दिनांक 1-4-1978 से विश्राम भत्ते की दरों में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय किया है ।

(श्री आदित्येन्द्र)

6. रिहायशी मकानों की कमी तथा भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 1978-79 में आवासन ऋण के लिए 2.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि इस वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 40.54 लाख रुपये अधिक है। सवारी ऋण के लिए 1.05 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में अगले वर्ष 1.40 करोड़ रुपये रखा गया है।

संशोधित अनुमान 1977–78

59. 1977-78 के परिवर्तित बजट तथा संशोधित अनुमानों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :—

		परिवर्तित अनुमान 1977–78	संशोधित अनुमान 1977–78
		(करोड़ रुपये में)	
i. समग्र प्राप्तियां			
1. राजस्व प्राप्तियां		449.41	483.35
2. पूंजीगत प्राप्तियां		140.45	170.73
	योग	589.86	654.08
ii. समग्र व्यय			
1. राजस्व व्यय		456.93	468.57
2. पूंजीगत व्यय		192.89	208.35
	योग	649.82	676.92
	शुद्ध घाटा	(–)59.96	(–)22.84

60. उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होगा कि राजस्व खाते में 7.52 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष की समाप्ति तक 14.78 करोड़ रुपये की बचत में बदल जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि है जो अनावश्यक खर्च घटाने व राजस्व की वसूलियों में निरन्तर सतर्कता का परिणाम है। चालू वर्ष में बिक्री-कर से 8.85 करोड़ रुपये, आबकारी से 3.60 करोड़ रुपये व स्टाम्प

(श्री आदित्येन्द्र)

एवं रजिस्ट्रेशन फी से 53 लाख रुपये अधिक प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त रॉक फॉस्फेट के विक्रय व रायल्टी से भी इस वर्ष 2.07 करोड़ रुपये की अधिक आमदनी होने की सम्भावना है।

61. 1977-78 के संशोधित अनुमानों में पूंजीगत प्राप्तियों में भी 30.28 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोत्तरी मुख्यतः भारत सरकार से राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक ऋण प्राप्ति (16.45 करोड़ रुपये), केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए व्ययानुरूप अधिक ऋण मिलने (97 लाख रुपये), अल्पकालीन एवं अन्य ऋण प्राप्तियों में वृद्धि (6.30 करोड़ रुपये), ऋणों व अग्रिमों की ज्यादा वसूली (1.64 करोड़ रुपये) तथा 'लोक लेखे' के अन्तर्गत 4.99 करोड़ रुपये की अधिक आमदनी की सम्भावनाओं के कारण है।

62. 1977-78 के संशोधित अनुमानों में राजस्व व्यय में 11.64 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 1-9-77 से बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय (1.66 करोड़ रुपये), वृद्धावस्था पेन्शन, विकलांगों को पेन्शन, विस्थापितों को राहत एवं पुनर्वास आदि पर अधिक व्यय (2.59 करोड़ रुपये) सड़कों की मरम्मत पर व्यय में वृद्धि (2.92 करोड़ रुपये), अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों एवं तालाबों की मरम्मत के लिए (74 लाख रुपये) व पंचायती संस्थाओं को भू-राजस्व में से 'प्रति व्यक्ति' अनुदान राशि में वृद्धि (4.77 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त प्रावधान के कारण है।

63. पूंजीगत व्यय में 15.46 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी प्रमुखतः अधिक अल्पकालीन ऋण वितरण (3.77 करोड़ रुपये) भारत सरकार को अल्पकालीन एवं अन्य ऋणों की अधिक अदायगी (4.64 करोड़ रुपये), पूंजीगत योजना व्यय में वृद्धि (4.70 करोड़ रुपये) तथा केन्द्र संचालित योजनाओं पर अधिक पूंजी व्यय (2.98 करोड़ रुपये) के कारण है।

बजट अनुमान 1978-79

64. 1978-79 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1978-79 (करोड़ रुपये में)
समग्र प्राप्तियां	
(1) राजस्व प्राप्तियां	533.16
(2) पूंजीगत प्राप्तियां	162.86
योग	696.02
2. समग्र व्यय	
(1) राजस्व व्यय	503.71
(2) पूंजीगत व्यय	221.36
योग	725.07
शुद्ध घाटा	(–) 29.05

65. इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष राजस्व आय में 49.81 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्तियां तथा 35.14 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का अनुमान है। अधिक राजस्व प्राप्ति मुख्यतः

(श्री आदित्येन्द्र)

बिक्री-कर (11.38 करोड़), ब्याज की प्राप्तियां (11.80 करोड़) तथा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि (5.20 करोड़) तथा अन्य कर एवं कर-भिन्न राजस्व में आंकी गई आय में सुधार के कारण है। राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यत: ब्याज के भुगतान (8.86 करोड़), अतिरिक्त महंगाई भत्ते का पूरे वर्ष का प्रावधान (1.76 करोड़) तथा विभिन्न मदों में अनिवार्य सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु सामान्य वृद्धि के कारण है। राजस्व खाते में इस प्रकार कुल 29.45 करोड़ रुपये की बचत होगी जो कि इस वर्ष के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 14.67 करोड़ रुपये अधिक है।

66. पूंजी खाते में संशोधित अनुमानों की अपेक्षा कम प्राप्तियां होने का कारण केन्द्र सरकार से अल्पकालीन ऋणों के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होना है। पूंजीगत व्यय में संशोधित अनुमानों के मुकाबले अगले वर्ष 13.01 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है जो कि मुख्यतया विकास योजनाओं पर पूंजी विनियोजन में वृद्धि के कारण है। पूंजी खाते में कुल 58.50 करोड़ रुपये का घाटा होगा जो कि राजस्व खाते की 29.45 करोड़ रुपये की बचत के कारण 29.05 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे में परिवर्तित हो जायगा।

67. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि परिवर्तित बजट प्रस्तुत करने के बाद इन 6 महीनों में कुल मिलाकर राज्य की वित्तीय स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। इस वर्ष के परिवर्तित अनुमानों में संभावित घाटा 51.46 करोड़ रुपये का था। इसके बाद पंचायतों के चुनाव व उनके अनुदान की राशि में वृद्धि होने से 5.07 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुए। राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के कारण 1.66 करोड़ रुपये अधिक योजना-भिन्न व्यय हुआ तथा सड़कों, सिंचाई साधनों आदि के उपयुक्त रख-रखाव के लिए पूर्वापेक्षा 3.66 करोड़ रुपये अधिक स्वीकृत किए गए। इस प्रकार कुल 10.29 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय स्वीकृत किया गया। अत: कुल घाटे की मात्रा बढ़कर 61.85 करोड़ रुपये हो जानी चाहिए थी, किन्तु प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता, करों आदि की वसूली में सजगता बरतने तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण यह घाटा अब केवल 22.84 करोड़ रुपये का रह जाएगा। इस प्रकार इन पिछले 6 महीनों में कुल मिलाकर राज्य की वित्तीय स्थिति में 39.01 करोड़ रुपये का सुधार स्पष्ट परिलक्षित है।

68. 1978-79 के लिए प्रस्तावित 235.97 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के लिए राज्य के वर्तमान साधनों से 98.78 करोड़ रुपये व केन्द्रीय सहायता के रूप में 95.46 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 194.24 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इस प्रकार योजना परिव्यय के पेटे 41.73 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है, दूसरी ओर योजना-भिन्न बजट में 12.68 करोड़ रुपये की बचत रहने का अनुमान है। 1978-79 में इस प्रकार शुद्ध घाटा 29.05 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।

(श्री ग्रादित्येन्द्र)

69. इस घाटे में निम्न प्रस्तावों के कारण ग्रौर वृद्धि होगी:—

(1) शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान देश में बहुत पिछड़ा हुग्रा है तथा इसमें क्षेत्रीय ग्रसन्तुलन भी विद्यमान है। ग्रतः इसको दूर करने के लिए यह प्रस्तावित है कि उन सभी गांवों में जिनकी ग्राबादी 1971 की जन-गणना के ग्राधार पर 400 से ग्रधिक है व जहां प्राथमिक शाला नहीं है, ग्रगले वर्ष प्राथमिक शाला खोल दी जाए, तथा उन सभी ग्रामों में जिनकी ग्राबादी 2000 हजार से ग्रधिक है ग्रौर जहां उच्च प्राथमिक शाला नहीं है, उच्च प्राथमिक शाला खोल दी जाय। इसी प्रकार उन सभी गांवों में जिनकी ग्राबादी 3000 से ग्रधिक है ग्रौर जहां माध्यमिक शाला नहीं है, माध्यमिक शाला खोल दी जाए। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप तथा शिक्षा के प्रशासन को ग्रौर सुदृढ़ करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की ग्रतिरिक्त राशि की ग्रावश्यकता होगी।

(2) चिकित्सा के क्षेत्र में भी राजस्थान राष्ट्रीय ग्रौसत से बहुत नीचे है। पिछले वर्ष नई डिस्पेन्सरियां तथा एड पोस्ट खोलते समय यह लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दो डिस्पेन्सरियां तथा एक एड पोस्ट हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रब 24 डिस्पेन्सरियां ग्रौर खोलने की ग्रावश्यकता है। इनके ग्रलावा राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में भी डिस्पेन्सरियों की काफी कमी महसूस हो रही है। इन क्षेत्रों में यदि 40,000 की ग्राबादी पर भी एक डिस्पेन्सरी स्थापित की जाय तो लगभग 26 डिस्पेन्सरियों की ग्रौर ग्रावश्यकता होगी। इस प्रकार कुल 50 डिस्पेन्सरियां खोलना ग्रावश्यक प्रतीत होता है। इनके लिए ग्रगले वर्ष में 25 लाख रुपये की ग्रतिरिक्त राशि की ग्रावश्यकता होगी।

(3) प्रदेश के 104 ग्रामों के समग्र विकास की एक योजना का उल्लेख मैंने ग्रभी किया है। इनके ग्रतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रार्थिक विकास को बल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 100 विकास केन्द्रों में भी विभिन्न प्रकार के ग्रार्थिक मूल ग्राधार (इनफ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस योजना के ग्रन्तर्गत इन विकास केन्द्रों को छांट कर समीपस्थ क्षेत्रों से इनका जो ग्रार्थिक गठ-बन्धन है, उसका ग्रध्ययन कर, इस बात का पता लगाया जाएगा कि इन स्थानों पर बिजली, खाद्य केन्द्र, बैंक, चिकित्सालय, शिक्षण संस्था, यातायात व परिवहन साधन, पशु चिकित्सालय, कृषि सेवा केन्द्र, पैट्रोल व डीजल पम्प, कृषि उपज विपणन केन्द्रों ग्रादि किन-किन सुविधाग्रों का ग्रभाव है। इस योजना में इन स्थानों पर इन सुविधाग्रों के उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी, जिससे ये विकास केन्द्र ग्रपने ग्रासपास के क्षेत्रों की उन्नति में ग्रधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। समग्र ग्रामोदय तथा इन विकास केन्द्रों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

(4) जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, राजस्थान के 16 जिलों को ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुग्रा घोषित किया गया है। इनमें से 6 जिलों में केन्द्रीय सरकार विनियोग के लिए ग्रंशदान देती है। पिछले बजट में राज्य सरकार ने ग्रपने साधनों से शेष 10 पिछड़े जिलों में इसी प्रकार के ग्रंशदान देने

(श्री आदित्येन्द्र)

का निश्चिय किया था। उक्त योजना पर पुर्नविचार के पश्चात् अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि राज्य के समस्त जिलों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख से नीचे की आबादी वाले समस्त स्थानों में राज्य सरकार नये उद्योग स्थापित करने के लिए निश्चित अंशदान दे। भारत सरकार द्वारा जिन जिलों में अंशदान दिया जा रहा है, वहां यह योजना लागू नहीं होगी। इस प्रस्ताव के कारण इस मद में लगभग 10 लाख रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

70. उपरोक्त प्रस्तावों के फलस्वरूप 1978-79 का कुल घाटा 29.05 करोड़ से बढ़कर 32.40 करोड़ रुपये हो जाएगा। बजट को यथासंभव सन्तुलित करने के उद्देश्य से इस घाटे की पूर्ति के उपाय ढूंढना वित्त-मंत्री का कर्तव्य है। अतः अब मैं उन प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा जिनको माननीय सदस्य उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु इसके पूर्व मैं मद्य निषेध की दिशा में हुई प्रगति का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा।

मद्य-निषेध

71. माननीय सदस्यों को विदित ही है कि इस समय राज्य के दस जिलों व तेरह तहसीलों में पूर्ण मद्य-निषेध लागू है। 1-4-78 से पाली, जोधपुर व बीकानेर जिलों में भी पूर्ण मद्य-निषेध लागू किया जा रहा है। इस निर्णय से राज्य की करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या व 63 प्रतिशत क्षेत्रफल पूर्ण मद्य-निषेध के अन्तर्गत आ जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस होगा व वेतन दिवस भी शुष्क दिवस रहेगा। इस प्रकार शुष्क दिवसों की संख्या वर्ष में 9 से बढ़कर अब 73 हो जाएगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपनी पूर्ण मद्य-निषेध की नीति पर दृढ़ हैं तथा अपने लक्ष्य को निकट भविष्य में ही प्राप्त कर लेंगे।

कर प्रस्ताव

72. विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त साधनों की खोज के लिए सतत् प्रयास आवश्यक है। इसके लिए राज्य की कर व कर भिन्न आय में वृद्धि के लिए समुचित प्रयत्न अपरिहार्य है। लेकिन फिर भी इस वर्ष मैंने अपने कर प्रस्तावों को मुख्यतः आबकारी से ही सम्बन्धित रखा है। अन्य करों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव या तो करों में छूट देने या उन्हें अधिक युक्तिसंगत करने के लिए ही हैं। अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए आबकारी पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करने में मेरा उद्देश्य केवल आमदनी बढ़ाना ही नहीं, अपितु शराब की खपत को कम करना भी रहा है। आबकारी से सम्बन्धित मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(i) सभी प्रकार की देशी, विदेशी व भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर बिक्री-कर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाए।

(ii) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लाइसेंसों के नवीनीकरण शुल्क में निम्न

(श्री आदित्येन्द्र)
प्रकार वृद्धि की जाए :

लाइसेंस	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1. होलसेल व 'रिटेल आन' आई. एम. एफ. एल. दुकान	5,000 रुपये प्रति वर्ष	10,000 रुपये प्रति वर्ष
2. 'रिटेल आफ' आई. एम. एफ. एल. दुकान जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व गगानगर	3,000 रुपये प्रति वर्ष	6,000 रुपये प्रति वर्ष
3. 'रिटेल आफ' आई. एम. एफ. एल. दुकान अन्य स्थानों पर	2,000 रुपये प्रतिवर्ष	4,000 रुपये प्रतिवर्ष

(iii) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर लगने वाले आबकारी शुल्क में निम्न प्रकार से वृद्धि की जाय :

मदिरा	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1. आई. एम. एफ. एल. 15 प्रतिशत से 41 प्रतिशत के मध्य	15 रुपये प्रति एल. पी. लीटर	18 रुपये प्रति एल. पी. लीटर
2. आई. एम. एफ. एल. 42 प्रतिशत या अधिक	22 रुपये प्रति एल. पी. लीटर	25 रुपये प्रति एल. पी. लीटर

(iv) देशी मदिरा के निर्गम मूल्य (issue price) में निम्न प्रकार वृद्धि प्रस्तावित है :

देशी मदिरा	वर्तमान मूल्य प्रति बल्क लिटर	प्रस्तावित मूल्य प्रति बल्क लिटर
1. केशर कस्तूरी	25 रुपये 60 पैसे	30 रुपये
2. गुलाब	11 रुपये 60 पैसे	13 रुपये
3. सादा	7 रुपये 80 पैसे	9 रुपये
4. साठिया	4 रुपये 24 पैसे	4 रुपये 50 पैसे

(श्री आदित्येन्द्र)

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आबकारी से सम्बन्धित उपरोक्त कर-प्रस्तावों को इस सदन का पूर्ण समर्थन मिलेगा।

73. ट्रैक्टर पर लगने वाले बिक्री कर को कम करने व ट्रैक्टर-ट्राली पर लगने वाले यात्री व माल कर को समाप्त करने के लिए काश्तकारों की माँग रही है। ट्रैक्टर व ट्रैक्टर ट्राली रखने वाले काश्तकार अपेक्षाकृत खुशहाल हैं, फिर भी इस मांग के औचित्य को मैं कुछ सीमा तक स्वीकार करता हूं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित उपकरण व पार्ट्स पर बिक्रीकर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाय व ट्रैक्टर-ट्राली पर यात्री व माल कर 840 रुपये प्रति वर्ष से घटाकर 450 रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाए।

74. काश्तकारों के लिए मैं एक अन्य रियायत भी प्रस्तावित कर रहा हूं। वर्तमान में बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कृषि उपकरणों को कर मुक्त रखा गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ अन्य कृषि उपकरणों को भी कर मुक्त किया जाना चाहिए। अतः बिक्री कर अधिनियम को इस हेतु संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन से राज्य सरकार किसी भी कृषि उपकरण को करमुक्त करने के लिए सक्षम हो जाएगी।

75. ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लान्ट के उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गोबर गैस प्लान्ट को बिक्री कर से मुक्त किया जाए।

76. राज्य के स्कूटर उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य में निर्मित स्कूटर को केन्द्रीय बिक्री कर से 31-3-78 तक की छूट दी गई थी। राज्य का स्कूटर उद्योग अभी कुछ और समय के लिए इस छूट की आवश्यकता महसूस कर रहा है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि इस छूट की अवधि को 31-3-79 तक बढ़ा दी जाय।

77. राज्य में गलीचा उद्योग के पर्याप्त विकास की सम्भावनायें हैं। अतः इस उद्योग को कुछ प्रोत्साहन देना वांछनीय होगा। मेरा प्रस्ताव है कि वर्स्टेड व सेमी वर्स्टेड ऊनी धागा जिसमें गलीचे में काम में आने वाला धागा भी सम्मिलित है लेकिन निटिंग ऊनी धागा सम्मिलित नहीं है-- orsted and semi worsted woollen yarn including Carpet yarn but excluding woollen knitting yarn) पर राज्य बिक्री कर 7 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाय। इसके साथ ही इस धागे पर लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर को 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत किया जा रहा है। इन दोनों प्रस्तावों का सम्मिलित प्रभाव यह होगा कि इस प्रकार के धागे की खपत राज्य में बढ़ेगी व गलीचा उद्योग की कई नई इकाइयां प्रारम्भ हो सकेंगी।

78. माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि खादी व ग्रामोद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस समय खादी व ग्रामोद्योग के केवल तेरह उद्योगों के उत्पादन को बिक्री कर से मुक्त किया हुआ है। यह छूट अब उन सभी बाईस उद्योगों को दी जा रही है जो कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में अंकित हैं। यह छूट राज्य बिक्री कर व केन्द्रीय बिक्री कर दोनों के लिए होगा।

(श्री आदित्येन्द्र)

79. इसी सम्बन्ध में लिया गया दूसरा निर्णय यह है कि खादी की कर मुक्त वस्तुओं की सूची को सुस्पष्ट व विस्तृत किया जाय ताकि कोई भ्रान्ति न रहे। अब निम्न वस्तुएं भी कर मुक्त रहेंगी :–

(1) स्लाइवर (Sliver), कच्चा व तैयार ऊन, निटिंग ऊन व लेफा।

(2) रजाई, गद्दे, तकिए, जरसी, दस्ताने, मौजे, हाथ थैले, स्वेटर, (hand bags)।

(3) पशुओं के बालों के प्राकृतिक रेशे (natural fibres of animal hair) व उनके सूती, ऊनी व रेशम के धागों के मिश्रण से बनी हुई खादी या खादी के धागे।

80. खादी व ग्रामोद्योग के विकास के लिए लिया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोग तथा राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग मंडल द्वारा प्रमाणित उत्पादकों को अब समस्त प्रकार का कच्चा माल कर-मुक्त मिलेगा। खादी बनाने के काम में आने वाली वार्पिंग (Warping), स्लाइवर (Sliver) व होजरी (hosiery) बनाने के यन्त्र व उप-यन्त्र (apparatus and appliance) तथा सरञ्जाम को भी कर-मुक्त किया जा रहा है।

81. इस समय राज्य में होने वाले व्यापार के सम्बन्ध में जिस दर से बिक्रीकर किसी वस्तु पर लगता है उसी दर से उस वस्तु को पैक (pack) करने वाले पैकिंग मेटीरियल (packing material) पर बिक्री कर लगता है, जबकि ऐसे पैकिंग मेटीरियल की अलग से कोई कीमत नहीं ली जाती है। लेकिन अन्तर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अब अन्तर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में भी वही व्यवस्था लागू की जा रही है जो कि राज्य के अन्दर होने वाले व्यापार के सम्बन्ध में प्रचलित है।

82. लोहे की अयस्क (Iron-ore) पर बिक्री कर 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत किया जा रहा है।

83. वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त किया जा रहा है।

84. उपरोक्त में से कुछ कर-प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 को संशोधित करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में बजट प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात् मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

85. उपरोक्त कर-प्रस्तावों के सम्मिलित प्रभाव से आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 6 करोड़ रुपये की शुद्ध अतिरिक्त आय संभावित है।

86. उपरोक्त कर-प्रस्तावों से होने वाली आय से 1978-79 का शुद्ध घाटा 26.40 करोड़ रुपये रह जाएगा। इस घाटे की पूर्ति कुछ अंश तक केन्द्रीय बजट में जो नए कर-प्रस्ताव आए हैं, उनके कारण राजस्थान के हिस्से में होने वाली वृद्धि से हो जाएगी। अतिरिक्त साधन

(श्री आदित्येन्द्र)

जुटाने के लिए हम विद्युतीकरण, आवास, ग्रामीण पेयजल आदि कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण ऋण-पत्र प्रचलित करेंगे तथा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर पंचायती राज कर्मचारियों, राजकीय निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर राज्य बीमा योजना लागू करने का भी प्रयास करेंगे।

87. हमें आशा है कि इसके फलस्वरूप 1978–79 का घाटा केवल 3.90 करोड़ रुपये रह जाएगा। इसमें चालू वर्ष के अनुमानित 22.84 करोड़ रुपये के घाटे की राशि जोड़ देने पर कुल घाटा 26.74 करोड़ रुपये हो जाता है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष से आया हुआ 7.48 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट भी शेष है। इसे सम्मिलित कर 1978–79 के अन्त में समग्र घाटा 34.22 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है। इस घाटे की पूर्ति के लिए हम और प्रयत्न करेंगे।

88. श्रीमन्, अपने भाषण की समाप्ति के पूर्व मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रजातंत्रीय पद्धति में विकास की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को उन कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है, जो इनके लिए साधन जुटाने की प्रक्रिया में जनता के सामने आती हैं। आर्थिक विकास एवं जन कल्याण की सारी योजनाएं, वित्तीय साधनों को एकत्र करने के सामर्थ्य की सीमाओं में आवद्ध रहती हैं। अतः नहीं चाहते हुए भी हमें कहीं-कहीं अपनी गति पर अंकुश लगाना पड़ता है। इसी प्रकार आर्थिक विकास तथा जन कल्याण की योजनाओं में भी परस्पर ऐसा तारतम्य बिठाना पड़ता है जिससे विकास के लिए बढ़ाए हुए प्रावधानों से सामाजिक सेवाओं में कमी न आए तथा सामाजिक सेवाओं के लिए बढ़ाए हुए प्रावधानों द्वारा इतना व्यय न हो जाए कि विकास की योजनाओं की गति ही कुंठित हो जाय।

89. अतः विकास की आवश्यकताओं व सामाजिक सेवाओं के लिए किए हुए प्रावधानों तथा इन दोनों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर-भार के प्रभावों में समुचित समन्वय रखते हुए उपरोक्त अनुमान मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रशासनतन्त्र पूरी तत्परता व उत्तरदायित्व के साथ इन कार्यक्रमों को सम्पादित करेगा।

90. श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 1978–79 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछूंगा अब की बार सैनिकों को बिलकुल भूल गये।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान वित्त विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 को पुरः-स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 पुरः स्थापित किया गया।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.46 बजे मंगलवार दिनांक 7 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।
